## कार्यालय निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत ग्लैण्डर्स एवं फार्सी सर्विलियेन्स योजना के संचालन हेतु दिशा–निर्देश**

पत्रांक–155 /ईपीडी0/ग्लैण्डर्स बजट आवंटन/दिशा–निर्देश/2021–22 दिनांक: 08-02-2022

**समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,**
**पशुपालन विभाग, उ0प्र0।**

**समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड–2,**
**पशुपालन विभाग, उ0प्र0।**

आप अवगत है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत ग्लैण्डर्स एवं फार्सी बीमारी के सर्विलियन्स की योजना वर्ष 2016–17 में स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस योजना का कियान्वयन उ0प्र0 के समस्त 75 जनपदों में किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, मुख्यालय के पत्र संख्या–2374/ /बजट/29(5)/अनु0–11/01/2021–22 दिनांक–04.02.2022 द्वारा सभी जनपदों को अनुदान–11 में बजट आवंटित किया गया है। वित्त नियन्त्रक महोदय द्वारा एच0एस0 टीकाकरण तथा ग्लैण्डर्स/फार्सी योजनाओं में विभिन्न मदों में आवंटित बजट एक साथ सम्मिलित कर आवंटित किया गया है। ग्लैण्डर्स योजना के मद संख्या 39, 42, 44 में आवंटित बजट इस दिशा निर्देश के साथ संलग्न है। योजना के वित्तीय प्रबन्धन एवं अनुश्रवण हेतु निम्न दिशा–निर्देश दिये जा रहे हैं।

**39– औषधि एवं रसायन मदः–** इस मद में रू0 150.00 प्रति अश्व प्रजाति पशु की दर से पशु मालिक को मिनरल मिक्स्चर, पेट के कीड़े की दवा एवं कैल्शियम आदि प्रदान करने हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। यह धनराशि जनपद के ग्लैण्डर्स सीरम सैम्पल के लक्ष्य के आधार पर आवंटित की गयी है। जिन पशुओं का रक्त नमूना ग्लैण्डर्स परीक्षण हेतु एकत्र किया जायेगा, उनके पशु मालिक को यह औषधियां प्रदान की जायेगीं। इसके अतिरिक्त इस मद मे सम्भावित ग्लैण्डर्स रोग से पीड़ित पशुओं के उपचार तथा अश्व प्रजाति के पशुओं में रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिये औषधियां क्रय की जायेगीं। जो अश्व प्रजाति से सम्बन्धित पशुओं में प्रयोग की जायेगी।

ग्लैण्डर्स एवं फार्सी बीमारी की पुष्टि के पश्चात यूथेनेशिया हेतु आवश्यक दवायें यथा Inj. Xylazine, Inj. Ketamine, Inj. Intraval Sodium अथवा अन्य सम्बन्धित औषधि का क्रय भी इसी मद से किया किया जायेगा। विभाग द्वारा औषधियों की अनुमोदित सूची के अतिरिक्त अन्य आवश्यक गुणवत्तापरक औषधियों का क्रय स्थानीय स्तर से नियमानुसार 39– औषधि एवं रसायन मद से किया जाये। धनराशि का व्यय प्रत्येक दशा में 28 फरवरी तक कर लिया जाये।

**42–अन्य व्यय : (अ)** उपमुख्यपशुचिकित्साधिकारी/पशुचिकित्साधिकारी गांव जाकर सर्विलियेन्स में अश्व पालको को बीमारी के बारे में जागरूक करेगें तथा लक्षण मिलने पर नमूना एकत्र करेगें। प्रशिक्षण कार्य हेतु गांव में आने जाने के यात्रा भत्ता के व्यय का भुगतान नियमानुसार इसी मद से किया जायेगा।

**(ब)** रक्त नमूना संग्रह करने हेतु वैक्यूटेनर, सैम्पिल कलैक्शन वायल, क्रायो–वायल्स, क्रायो बाक्स, सिरिज, रबर ग्लब्स, पी0पी0ई0 किट, ग्लैण्डर्स पाजिटिव अश्व प्रजाति के पशुओं को यूथनेशिया के पश्चात दफनाने पर होने वाला व्यय आदि के भुगतान की व्यवस्था भी इसी मद से की जायेगी।

**44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय–** सभी मण्डलीय जनपद मुख्यालय पर ग्लैण्डर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड–2, की सहमति से किया जायेगा। इस प्रशिक्षण में मण्डल अन्तर्गत प्रत्येक जनपद से 4–5 पशु चिकित्साविद प्रतिभाग करेगें। पशु चिकित्साविदो को ग्लैण्डर्स/फार्सी बीमारी

से सम्बन्धित सर्विलियन्स कार्य, रक्त (Blood)/नासिका स्राव (Nasal discharge)/Abscess(फोड़ा) का रिसाव का नमूना एकत्र करना, एकत्रित नमूने को प्रयोगशाला मे जॉच हेतु भेजना तथा अस्वस्थ्य पशु का चिकित्सा कार्य, प्रभावित पशुओं में बीमारी की पुष्टि होने पर पशुओं को यूथेनेशिया देना, निस्तारण करना एवं अन्य सम्बन्धित जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त जिले के कुछ अश्व पालकों को भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में आमंत्रित किया जायेगा जिसमें उनको ग्लैण्डर्स रोग के जुनोटिक होने एवं बचाव संबंधी उपायों के बारे में जानकारी दी जायेगी। प्रतिभागियों को स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री, चाय /बिस्कुट, दोपहर का भोजन तथा आयोजन संबन्धी अन्य व्यय 44– प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय से किया जायेगा। उक्त आयोजन में यथा सम्भव ब्रुक्स इंडिया लिमिटेड संस्था का सहयोग अवश्य लें। इस आयोजन हेतु मण्डल में पशुचिकित्सा संस्थाओं की संख्या के आधार पर धनराशि आवंटित की गयी है। प्रशिक्षण के पश्चात उसके फोटोग्राफ ई.मेल आई.डी. gfssahd16@gmail.com पर अधोहस्ताक्षरी को अवश्य उपलब्ध करायें। प्रशिक्षण की तिथि निर्धारित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करा दें, जिससे प्रशिक्षण में निदेशालय का प्रतिनिधित्व हो सके। प्रशिक्षण में यथा सम्भव मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी को भी आमंत्रित किया जाये।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन वर्तमान में प्रचलित उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियम, वित्तीय सीमा एवं अन्य आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व रहेगा। इस योजना मे लगातार सर्विलियेन्स कार्य किया जायेगा तथा रिपोर्ट भी निदेशालय को दी जायेगी। व्यय के पश्चात इसकी सूचना तत्काल योजनाधिकारी संयुक्त निदेशक (ईपीडी0) को मेल–आई0 डी0 gfssahd16@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें।

**उक्त आवंटित धनराशि का व्यय कर प्रत्येक दशा में 15 मार्च, 2022 तक समायोजन निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।**

(डा0 जीवन दत्त)
निदेशक
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।

पत्रांक– /ईपीडी0/ग्लैण्डर्स बजट आवंटन/दिशा–निर्देश/2021–22 दिनांक

**प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–**

1– श्री नवीन गुप्ता, कम्प्यूटर सुपरवाईजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
2– आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
3– नोडल अधिकारी (आर0के0वी0वाई) पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4– नोडल अधिकारी (आर0के0वी0वाई) कृषि विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5– वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6– विशेष सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन।

(डा0 जीवन दत्त)
निदेशक
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।

कार्यालय निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत ग्लैण्डर्स एवं फार्सी सर्विलियेन्स योजना के संचालन हेतु दिशा–निर्देश

पत्रांक– /ईपीडी0/ग्लैण्डर्स बजट आवंटन/दिशा–निर्देश/2021–22 दिनांक:

**समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,**
**पशुपालन विभाग, उ0प्र0।**

**समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड–2,**
**पशुपालन विभाग, उ0प्र0।**

आप अवगत है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत ग्लैण्डर्स एवं फार्सी बीमारी के सर्विलियन्स की योजना वर्ष 2016–17 में स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस योजना का कियान्वयन उ0प्र0 के समस्त 75 जनपदों में किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, मुख्यालय के पत्र संख्या–2374//बजट/29(5)/अनु0–11/01/2021–22 दिनांक–04.02.2022 द्वारा सभी जनपदों को अनुदान–11 में बजट आवंटित किया गया है। वित्त नियन्त्रक महोदय द्वारा एच0एस0 टीकाकरण तथा ग्लैण्डर्स/फार्सी योजनाओं में विभिन्न मदों में आवंटित बजट एक साथ सम्मिलित कर आवंटित किया गया है। ग्लैण्डर्स योजना के मद संख्या 39, 42, 44 में आवंटित बजट इस दिशा निर्देश के साथ संलग्न है। योजना के वित्तीय प्रबन्धन एवं अनुश्रवण हेतु निम्न दिशा–निर्देश दिये जा रहे हैं।

**39– औषधि एवं रसायन मदः–** इस मद में रू0 150.00 प्रति अश्व प्रजाति पशु की दर से पशु मालिक को मिनरल मिक्स्चर, पेट के कीड़े की दवा एवं कैल्शियम आदि प्रदान करने हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। यह धनराशि जनपद के ग्लैण्डर्स सीरम सैम्पल के लक्ष्य के आधार पर आवंटित की गयी है। जिन पशुओं का रक्त नमूना ग्लैण्डर्स परीक्षण हेतु एकत्र किया जायेगा, उनके पशु मालिक को यह औषधियां प्रदान की जायेगीं। इसके अतिरिक्त इस मद मे सम्भावित ग्लैण्डर्स रोग से पीड़ित पशुओं के उपचार तथा अश्व प्रजाति के पशुओं में रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिये औषधियां क्रय की जायेगीं। जो अश्व प्रजाति से सम्बन्धित पशुओं में प्रयोग की जायेगी।

ग्लैण्डर्स एवं फार्सी बीमारी की पुष्टि के पश्चात यूथेनेशिया हेतु आवश्यक दवायें यथा Inj. Xylazine, Inj. Ketamine, Inj. Intraval Sodium अथवा अन्य सम्बन्धित औषधि का क्रय भी इसी मद से किया किया जायेगा। विभाग द्वारा औषधियों की अनुमोदित सूची के अतिरिक्त अन्य आवश्यक गुणवत्तापरक औषधियों का क्रय स्थानीय स्तर से नियमानुसार 39– औषधि एवं रसायन मद से किया जाये। धनराशि का व्यय प्रत्येक दशा में 28 फरवरी तक कर लिया जाये।

**42–अन्य व्यय :** (अ) उपमुख्यपशुचिकित्साधिकारी/पशुचिकित्साधिकारी गांव जाकर सर्विलियेन्स में अश्व पालको को बीमारी के बारे में जागरूक करेगें तथा लक्षण मिलने पर नमूना एकत्र करेगें। प्रशिक्षण कार्य हेतु गांव में आने जाने के यात्रा भत्ता के व्यय का भुगतान नियमानुसार इसी मद से किया जायेगा।

(ब) रक्त नमूना संग्रह करने हेतु वैक्यूटेनर, सैम्पिल कलैक्शन वायल, क्रायो–वायल्स, क्रायो बाक्स, सिरिज, रबर ग्लब्स, पी0पी0ई0 किट, ग्लैण्डर्स पाजिटिव अश्व प्रजाति के पशुओं को यूथनेशिया के पश्चात दफनाने पर होने वाला व्यय आदि के भुगतान की व्यवस्था भी इसी मद से की जायेगी।

**44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय–** सभी मण्डलीय जनपद मुख्यालय पर ग्लैण्डर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड–2, की सहमति से किया जायेगा। इस प्रशिक्षण में मण्डल अन्तर्गत प्रत्येक जनपद से 4–5 पशु चिकित्साविद प्रतिभाग करेगें। पशु चिकित्साविदो को ग्लैण्डर्स/फार्सी बीमारी

से सम्बन्धित सर्विलियन्स कार्य, रक्त (Blood)/नासिका स्राव (Nasal discharge)/Abscess(फोड़ा) का रिसाव का नमूना एकत्र करना, एकत्रित नमूने को प्रयोगशाला मे जॉच हेतु भेजना तथा अस्वस्थ्य पशु का चिकित्सा कार्य, प्रभावित पशुओं में बीमारी की पुष्टि होने पर पशुओं को यूथेनेशिया देना, निस्तारण करना एवं अन्य सम्बन्धित जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त जिले के कुछ अश्व पालकों को भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में आमंत्रित किया जायेगा जिसमें उनको ग्लैण्डर्स रोग के जुनोटिक होने एवं बचाव संबंधी उपायों के बारे में जानकारी दी जायेगी। प्रतिभागियों को स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री, चाय /बिस्कुट, दोपहर का भोजन तथा आयोजन संबन्धी अन्य व्यय 44– प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय से किया जायेगा। उक्त आयोजन में यथा सम्भव ब्रुक्स इंडिया लिमिटेड संस्था का सहयोग अवश्य लें। इस आयोजन हेतु मण्डल में पशुचिकित्सा संस्थाओं की संख्या के आधार पर धनराशि आवंटित की गयी है। प्रशिक्षण के पश्चात उसके फोटोग्राफ ई.मेल आई.डी. gfssahd16@gmail.com पर अधोहस्ताक्षरी को अवश्य उपलब्ध करायें। प्रशिक्षण की तिथि निर्धारित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करा दें, जिससे प्रशिक्षण में निदेशालय का प्रतिनिधित्व हो सके। प्रशिक्षण में यथा सम्भव मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी को भी आमंत्रित किया जाये।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन वर्तमान में प्रचलित उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियम, वित्तीय सीमा एवं अन्य आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व रहेगा। इस योजना मे लगातार सर्विलियेन्स कार्य किया जायेगा तथा रिपोर्ट भी निदेशालय को दी जायेगी। व्यय के पश्चात इसकी सूचना तत्काल योजनाधिकारी संयुक्त निदेशक (ईपीडी0) को मेल–आई0 डी0 gfssahd16@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें।

**उक्त आवंटित धनराशि का व्यय कर प्रत्येक दशा में 15 मार्च, 2022 तक समायोजन निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।**

(डा0 जीवन दत्त)
निदेशक
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।

पत्रांक–155/ईपीडी0/ग्लैण्डर्स बजट आवंटन/दिशा–निर्देश/2021–22 दिनांक 08-02-2022

**प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–**

1– श्री नवीन गुप्ता, कम्प्यूटर सुपरवाईजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
2– आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
3– नोडल अधिकारी (आर0के0वी0वाई) पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4– नोडल अधिकारी (आर0के0वी0वाई) कृषि विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5– वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6– विशेष सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन।

(डा0 जीवन दत्त)
निदेशक
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।

प्रेषक,

वित्त नियन्त्रक,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

**1–आहरण वितरण अधिकारी,** मुख्यालय।
**2–मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,** पशुपालन विभाग,
आगरा/मथुरा/एटा/मैनपुरी/फिरोजाबाद/अलीगढ/हाथरस/मेरठ/बागपत/बिजनौर/गाजियाबाद/गौतमबुद्ध नगर/बुलन्दशहर/सहारनपुर/मुजफ्फरनगर/मुरादाबाद/अमरोहा/रामपुर/बरेली/बदायूँ/शाहजहॉपुर/मऊ/हापुड/पीलीभीत/अयोध्या/अम्बेडकरनगर/सुल्तानपुर/बाराबंकी/गोण्डा/बलरामपुर/बहराइच/श्रावस्ती/बस्ती/झॉसी/संतकबीरनगर/सिद्धार्थनगर/बॉदा/गोरखपुर/महराजगंज/देवरिया/कुशीनगर/प्रयागराज/फतेहपुर/जालौन/प्रतापगढ/कौशाम्बी/ललितपुर/चित्रकूट/हमीरपुर/महोबा/लखनऊ/उन्नाव/सीतापुर/हरदोई/रायबरेली/लखीमपुर–खीरी/आजमगढ/बलिया/वाराणसी/जौनपुर/गाजीपुर/चन्दौली/मिर्जापुर/सोनभद्र/इटावा/औरैया/फर्रूखाबाद/संतरविदासनगर/कानपुर–नगर/कानपुर–देहात/कन्नौज/कासगंज/सम्भल/अमेठी/शामली ।

संख्या– 2374 /बजट/29(5)/अनु0–11/01/2021–22 दिनांक 4/2/22

विषयः– **अनुदान सं0–11 के अधीन राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये पशुपालन विभाग की परियोजनाओं के संचालन हेतु धनराशि का ऑवटन ।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कृषि अनुभाग–3 के शासनादेश सं0–1763(2)/12–3–2021,दि0 25–01–2022 द्वारा पशुपालन विभाग के अधीन संचालित परियोजनाओं हेतु (H.S. Vaccination under RKVY) के अन्तर्गत रू0 38460000.00 (रूपये तीन करोड चौरासी लाख साठ हजार मात्र) (केन्द्रांश) एवं (Glanders and Farcy Diisease Surveillance Scheme) के अन्तर्गत रू0 6000000.00 (रूपये साठ लाख मात्र) (केन्द्रांश) इस प्रकार विभिन्न मानक मदों में कुल रू0 44460000.00 (रूपये चार करोड चवालिस लाख साठ हजार मात्र) (केन्द्रांश) की प्राप्त स्वीकृति के आधार पर निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0–1041/सा0–1/एक्स–84 (670)/2021–22, दिनांक 27–01–2022 एवं पत्र सं0–145/इपीडी/ग्लैण्डर्स/2021–22, दिनांक 28–01–2022 द्वारा दिये गये प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए योजना के सफल संचालन हेतु Alloment Grid Report एवं संलग्न **परिशिष्ट'क'** में उल्लिखित धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय हेतु आपको ऑवटित की जाती है। शर्तो से विचलन की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होगें ।

(1) ऑवटित की जा रही धनराशि निदेशक,रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र,पशुपालन विभाग,उ0प्र0,लखनऊ भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि विषयक पत्र दिनांक 14–09–2021 एवं दिनांक 27–09–2021 में दिये गये दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगें तथा अवमुक्त धनराशि की सीमान्तर्गत उन्हीं परियोजनाओं में व्यय करनाप सुनिश्चित करेगें जो भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप है। धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा जब निदेशक,रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र,पशुपालन विभाग,उ0प्र0,लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड–19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का कियान्वयन/संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है। प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति के पूर्व निदेशक,रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र,पशुपालन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना से आच्छादित पुनर्वैध केन्द्रांश राज्य की समेकित निधि में जमा है। ऑवटित की जा रही धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव के अनुरूप भारत सरकार के दिशा– निर्देशों/गाइडलाईन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। ऑवटित की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य–योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा आर.के.वी.वाई. रफ्तार हेतु निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा। प्रस्ताव में ऑकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक,रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र,पशुपालन विभाग,उ0प्र0,लखनऊ का होगा। प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राहिवधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह निदेशक,रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र,पशुपालन विभाग,उ0प्र0,लखनऊ का उत्तरदायित्व होगा। वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियन्त्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व निदेशक,रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र,पशुपालन विभाग,उ0प्र0,लखनऊ के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विभागाध्यक्ष/नियन्त्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियन्त्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) ऑवटित की जा रही धनराशि का ऑवटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। केन्द्र पोषित,बाहय सहयातित तथा राज्य/जिला सेक्टर जिसमें राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को किसी प्रकार (Cash or Kind) की सब्सिडी/सहायक अनुदान(गैरवेतन) दिया जाना है, ऐसी सभी योजनाओं/कार्यकमों में लाभार्थी

की संख्या व पात्रता तथा उसे दी जाने वाली धनराशि आदि के संबंध में शा0सं0–3497 / 12–3–2012–100 (70) / 2012, दि0 07–11–2012 के अनुपालन में मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय ।

(3) ऑवटित की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग योजना की मुख्य सचिव उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में गठित एस.एल.एस.सी. द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव / अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा–निर्देशों / गाइडलाईन्स एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जाये तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जाये जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है तथा आय–व्ययक में प्राविधानित हैं किसी अन्य भिन्न मद मेंन ही इसका व्यय किया जाये और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जाये।यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध कराई जाये। योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की कार्ययोजना में अनुमोदित भौतिक / वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की मासिक आधार पर भैतिक / वित्तीय प्रगति रिर्पोट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी साथ ही निदेशक,रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र,पशुपालन विभाग,उ0प्र0,लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति / द्विरावृत्ति न हो।

(5) ऑवटित की जा रही धनराशि से सम्भावित व्यय की फेजिंग,कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय। जहॉ तक सम्भव हो,व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय ऑवटित धनराशि का आहरण एकमुश्त न किया जाय क्योकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड प्रबन्धन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है तथा अनावश्यक रूप से बैकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढावा मिलता है। शासन की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर कोई भी धनराशि बैंक खाते में नही रखी जायेगी यदि ऐसा प्रकरण शासन के संज्ञान में आता है तो इसे गम्भीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(6) वित्त लेखानुभाग–1 के शासनादेश सं0–ए–1–285 / दस–2012–10(29) / 2011टी0सी0–11,दि0 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये है।अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र संख्या–1–11011 / 58 / 2013–डी. बी.टी., दिनांक 25–2–2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अतः ऑवटित धनराशि का तदनुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाये ।

(7) निदेशक,रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र,पशुपालन विभाग,उ0प्र0,लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित किया जाय। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइड पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना के कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण नोडल अधिकारी,,मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय ।

(8) उक्त ऑवटित धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करने का उत्तरदायित्व निदेशक,रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र,पशुपालन विभाग,उ0प्र0,लखनऊ का होगा ।

(9) ऑवटित की जा रही धनराशि का आहरण / व्यय वित्त (आय–व्ययक)अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3 / 2021 / बी–1–375 / दस–2021–231 / 2021,दिनांक 22–03–2021 में दिये गये निर्देशों / शर्तो तथा प्रतिबन्धों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। वर्तमान में प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लॅघन न हो,यह निदेशक,रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र,पशुपालन विभाग,उ0प्र0,लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही स्वीकृत धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

(10) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–800–अन्य व्यय–02–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–0205–पशुपालन की योजनाऍ (के.60 / रा.40–के.+रा.) के नामे डाला जायेगा ।

(11) ऑवटित की जा रही धनराशि की प्रविष्टि ऑवटन पंजिका के कम संख्या–01 (अनुदान–11) पर अंकित कर ली गई है

<u>संलग्नकः यथोपरि</u> ।

भवदीय,

(आशीष भाष्कर)
वित्त नियन्त्रक।

संख्या–2374 /बजट/29(5)/अनु0–11/01/2021–22, तद्दिनांक ।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

(1) वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, आगरा/मथुरा/एटा/मैनपुरी/फिरोजाबाद/अलीगढ/हाथरस/मेरठ/बागपत/गाजियाबाद/मऊ/बिजनौर/गौतमबुद्धनगर/बुलन्दशहर/सहारनपुर/मुजफ्फरनगर/मुरादाबाद/अमरोहा/रामपुर/बरेली/बदायूँ/कन्नौज/शाहजहाँपुर/हापुड/पीलीभीत/अयोध्या/अम्बेडकरनगर/सुल्तानपुर/बाराबंकी/गोण्डा/बलरामपुर/बहराइच/श्रावस्ती/बस्ती/झाँसी/संतकबीरनगर/सिद्धार्थनगर/बाँदा/गोरखपुर/महराजगंज/देवरिया/कुशीनगर/प्रयागराज/फतेहपुर/जालौन/प्रतापगढ/कौशाम्बी/ललितपुर/चित्रकूट/हमीरपुर/महोबा/कलेक्ट्रैट–लखनऊ/उन्नाव/सीतापुर/हरदोई/रायबरेली/लखीमपुर–खीरी/आजमगढ/बलिया/वाराणसी/जौनपुर/गाजीपुर/चन्दौली/मिर्जापुर/सोनभद्र/इटावा/फर्रुखाबाद/कासगंज/संतरविदासनगर/कानपुर–नगर/कानपुर–देहात/औरैया/सम्भल/अमेठी/शामली/जवाहरभवन–लखनऊ ।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी–I)/लेखानुभाग,उ0प्र0, इलाहाबाद ।

(3) अनुसचिव,उत्तर प्रदेश शासन, कृषि अनुभाग–3,सचिवालय,लखनऊ ।

(4) अनुसचिव,पशुधन अनुभाग–2,उ0प्र0शासन, सचिवालय,लखनऊ ।

(5) निदेशक,रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र,पशुपालन विभाग,उ0प्र0,लखनऊ ।

(6) योजनाधिकारी अपर निदेशक(गो0वि0)/नोडल अधिकारी,राष्ट्रीय कृषि विकास योजना,मुख्यालय ।

(7) योजनाधिकारी संयुक्त निदेशक (रो0नि0), मु0 को उनके पत्र सं0–1041/सा0–1/एक्स–84(670)/2021–22, दिनांक 27–01–2022 के कम में इस आशय से प्रेषित कि उक्त योजना से संबंधित कार्ययोजना/गाईडलाइन्स संबंधित आ0वि0अधि0 को तत्काल उपलब्ध कराये तथा योजना में व्यय की सघन समीक्षा कर ऑवटित धनराशि का व्यय सुनिश्चित करायें।

(8) योजनाधिकारी संयुक्त निदेशक (इपीडी), मु0 को उनके पत्र सं0–145/इपीडी/ग्लैण्डर्स/2021–22, दिनांक 28–01–2022 के कम में इस आशय से प्रेषित कि उक्त योजना से संबंधित कार्ययोजना/गाईडलाइन्स संबंधित आ0वि0अधि0 को तत्काल उपलब्ध कराये तथा योजना में व्यय की सघन समीक्षा कर ऑवटित धनराशि का व्यय सुनिश्चित करायें।

(9) संयुक्त निदेशक (नियोजन), मुख्यालय ।

(10) कम्प्यूटर आपरेटर,मु0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ऑवटन को विभागीय वेवसाइड पर फीड करने का कष्ट करें ।

(11) व्यय सहायक, बजट अनुभाग, मुख्यालय ।

(आशीष भाष्कर)
वित्त नियन्त्रक।

# Print Report

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-04/02/2022

प्रेषण संख्या:- 2374
आवंटन आदेश संख्या:- 004-29-5-ANU-11-01-2021-22
अनुदान संख्या:- 11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2401 - फसल कृषि कर्म(आयोजनेत्तर-मतदेय)

800 - अन्य व्यय
02 -
05 - पशुपालन की योजनायें (के.60/रा.40-के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 39-औषधि तथा रसायन | 42-अन्य व्यय | 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति | 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सहारनपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 106719<br>106719 | 66000<br>135600 | 0<br>70000 | 28200<br>28200 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 212419<br>352019 |
| 2 | मुज़फ्फर नगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 119910<br>119910 | 66000<br>136600 | 0<br>72000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 197410<br>340010 |
| 3 | मेरठ-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 94215<br>94215 | 66000<br>137600 | 0<br>72000 | 56400<br>56400 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 228115<br>371715 |
| 4 | बुलन्दशहर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 156431<br>156431 | 66000<br>172600 | 0<br>122000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 233931<br>462531 |
| 5 | अलीगढ-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 112201<br>112201 | 66000<br>178600 | 0<br>120000 | 37600<br>37600 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 227301<br>459901 |
| 6 | मथुरा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 68006<br>68006 | 66000<br>139600 | 0<br>75000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 145506<br>294106 |
| 7 | आगरा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 94043<br>94043 | 66000<br>188600 | 0<br>129000 | 37600<br>37600 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 209143<br>460743 |
| 8 | मैनपुरी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 40426<br>40426 | 66000<br>134600 | 0<br>70000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 117926<br>256526 |
| 9 | एटा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 26894<br>26894 | 66000<br>130600 | 0<br>65000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 104394<br>233994 |
| 10 | बरेली-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 237250<br>237250 | 66000<br>152600 | 0<br>90000 | 37600<br>37600 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 352350<br>528950 |
| 11 | बिजनौर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 87225<br>87225 | 66000<br>156600 | 0<br>96000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 164725<br>351325 |
| 12 | बदायूं-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 158623<br>158623 | 66000<br>189600 | 0<br>133000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 236123<br>492723 |
| 13 | मुरादाबाद-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 82635<br>82635 | 66000<br>122600 | 0<br>56000 | 47000<br>47000 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 207135<br>319735 |
| 14 | शाहजहांपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 99867<br>99867 | 66000<br>156600 | 0<br>83000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 177367<br>350967 |
| 15 | पीलीभीत-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 84279<br>84279 | 66000<br>104600 | 0<br>36000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 161779<br>236379 |
| 16 | रामपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 79825<br>79825 | 66000<br>111600 | 0<br>44000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 157325<br>246925 |

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 39-औषधि तथा रसायन | 42-अन्य व्यय | 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति | 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | फर्रुखाबाद-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 45394<br>45394 | 66000<br>119600 | 0<br>53000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 122894<br>229494 |
| 18 | इटावा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 14046<br>14046 | 66000<br>113600 | 0<br>47000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 91546<br>186146 |
| 19 | कानपुर नगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 37514<br>37514 | 66000<br>129600 | 0<br>64000 | 56400<br>56400 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 171414<br>299014 |
| 20 | फतेहपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 94215<br>94215 | 66000<br>140600 | 0<br>78000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 171715<br>324315 |
| 21 | प्रयागराज-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 81024<br>81024 | 66000<br>199600 | 0<br>162000 | 37600<br>37600 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 196124<br>491724 |
| 22 | झाँसी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 23125<br>23125 | 66000<br>117600 | 0<br>51000 | 28200<br>28200 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 128825<br>231425 |
| 23 | जालौन-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 36658<br>36658 | 66000<br>120600 | 0<br>53000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 114158<br>221758 |
| 24 | हमीरपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 29840<br>29840 | 66000<br>104600 | 0<br>36000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 107340<br>181940 |
| 25 | बांदा -2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 66121<br>66121 | 66000<br>129600 | 0<br>65000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 143621<br>272221 |
| 26 | वाराणसी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 8051<br>8051 | 66000<br>119600 | 0<br>52000 | 37600<br>37600 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 123151<br>228751 |
| 27 | मिर्ज़ापुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 79654<br>79654 | 66000<br>140600 | 0<br>76000 | 28200<br>28200 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 185354<br>335954 |
| 28 | जौनपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 10620<br>10620 | 66000<br>167600 | 0<br>107000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 88120<br>296720 |
| 29 | गाज़ीपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 50876<br>50876 | 66000<br>147600 | 0<br>85000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 128376<br>294976 |
| 30 | बलिया-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 181064<br>181064 | 66000<br>130600 | 0<br>65000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 258564<br>388164 |
| 31 | गोरखपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 53103<br>53103 | 66000<br>117600 | 0<br>51000 | 37600<br>37600 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 168203<br>270803 |
| 32 | बस्ती-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 3254<br>3254 | 66000<br>111600 | 0<br>45000 | 28200<br>28200 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 108954<br>199554 |
| 33 | आजमगढ़-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 22097<br>22097 | 66000<br>152600 | 0<br>90000 | 28200<br>28200 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 127797<br>304397 |
| 34 | देवरिया-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 35459<br>35459 | 66000<br>112600 | 0<br>46000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 112959<br>205559 |
| 35 | लखनऊ कलेक्ट्रेट -2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 28778<br>28778 | 66000<br>115600 | 0<br>48000 | 56400<br>56400 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 162678<br>260278 |
| 36 | उन्नाव-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 45565<br>45565 | 66000<br>155600 | 0<br>94000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 123065<br>306665 |
| 37 | रायबरेली-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 108467<br>108467 | 66000<br>145600 | 0<br>82000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 185967<br>347567 |
| 38 | सीतापुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 29326<br>29326 | 66000<br>170600 | 0<br>110000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 106826<br>321426 |

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 39-औषधि तथा रसायन | 42-अन्य व्यय | 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति | 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | हरदोई-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 130188<br>130188 | 66000<br>177600 | 0<br>120000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 207688<br>439288 |
| 40 | लखीमपुर खीरी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 91679<br>91679 | 66000<br>183600 | 0<br>125000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 169179<br>411779 |
| 41 | अयोध्या-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 18774<br>18774 | 66000<br>124600 | 0<br>59000 | 47000<br>47000 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 143274<br>260874 |
| 42 | गोण्डा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 44880<br>44880 | 66000<br>141600 | 0<br>78000 | 37600<br>37600 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 159980<br>313580 |
| 43 | बहराइच-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 77564<br>77564 | 66000<br>137600 | 0<br>74000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 155064<br>300664 |
| 44 | सुल्तानपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 25181<br>25181 | 66000<br>130600 | 0<br>65000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 102681<br>232281 |
| 45 | प्रतापगढ-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 84450<br>84450 | 66000<br>174600 | 0<br>115000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 161950<br>385550 |
| 46 | बाराबंकी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 54987<br>54987 | 66000<br>142600 | 0<br>80000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 132487<br>289087 |
| 47 | ललितपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 8736<br>8736 | 66000<br>128600 | 0<br>63000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 86236<br>211836 |
| 48 | गाजियाबाद-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 42996<br>42996 | 66000<br>98600 | 0<br>30000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 120496<br>183096 |
| 49 | जवाहर भवन, लखनऊ-2291-आहरण वितरण अधिकारी-मुख्यालय , लखनऊ-01-आहरण वितरण अधिकारी- मुख्यालय | वर्तमान<br>प्रगामी | 0<br>0 | 7200000<br>7200000 | 156000<br>1386000 | 26160000<br>115887000 | 195000<br>795000 | 30000<br>30000 | 7500<br>7500 | 33748500<br>125305500 |
| 50 | कानपुर देहात-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 5344<br>5344 | 66000<br>139600 | 0<br>75000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 82844<br>231444 |
| 51 | मऊ-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 46079<br>46079 | 66000<br>103600 | 0<br>35000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 123579<br>196179 |
| 52 | सिद्धार्थनगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 9695<br>9695 | 66000<br>96600 | 0<br>26000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 87195<br>143795 |
| 53 | फिरोजाबाद-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 35801<br>35801 | 66000<br>140600 | 0<br>78000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 113301<br>265901 |
| 54 | सोनभद्र-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 2226<br>2226 | 66000<br>131600 | 0<br>67000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 79726<br>212326 |
| 55 | महाराजगंज-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 14560<br>14560 | 66000<br>93600 | 0<br>24000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 92060<br>143660 |
| 56 | महोबा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 22714<br>22714 | 66000<br>96600 | 0<br>26000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 100214<br>156814 |
| 57 | संत रविदास नगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 2843<br>2843 | 66000<br>103600 | 0<br>35000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 80343<br>152943 |
| 58 | कुशीनगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 27613<br>27613 | 66000<br>100600 | 0<br>32000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 105113<br>171713 |
| 59 | अम्बेदकर नगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 12162<br>12162 | 66000<br>123600 | 0<br>58000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 89662<br>205262 |
| 60 | गौतमबुद्ध नगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 27921<br>27921 | 66000<br>106600 | 0<br>34000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 105421<br>180021 |

| S. No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 39-औषधि तथा रसायन | 42-अन्य व्यय | 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति | 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | चन्दौली-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 21583<br>21583 | 66000<br>128600 | 0<br>63000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 99083<br>224683 |
| 62 | हाथरस-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 66121<br>66121 | 66000<br>118600 | 0<br>52000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 143621<br>248221 |
| 63 | बलरामपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 27545<br>27545 | 66000<br>108600 | 0<br>40000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 105045<br>187645 |
| 64 | संत कबीर नगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 8907<br>8907 | 66000<br>92600 | 0<br>22000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 86407<br>135007 |
| 65 | औरैया-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 20213<br>20213 | 66000<br>113600 | 0<br>47000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 97713<br>192313 |
| 66 | कौशाम्बी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 87534<br>87534 | 66000<br>118600 | 0<br>51000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 165034<br>268634 |
| 67 | बागपत-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 67149<br>67149 | 66000<br>111600 | 0<br>44000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 144649<br>234249 |
| 68 | कन्नौज-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 26551<br>26551 | 66000<br>128600 | 0<br>63000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 104051<br>229651 |
| 69 | श्रावस्ती-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 17643<br>17643 | 66000<br>100600 | 0<br>32000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 95143<br>161743 |
| 70 | अमरोहा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 34773<br>34773 | 66000<br>134600 | 0<br>70000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 112273<br>250873 |
| 71 | चित्रकूट-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 26208<br>26208 | 66000<br>116600 | 0<br>50000 | 37600<br>37600 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 141308<br>241908 |
| 72 | कांसगंज-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 38885<br>38885 | 66000<br>124600 | 0<br>58000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 116385<br>232985 |
| 73 | अमेठी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 51523<br>51523 | 66000<br>128600 | 0<br>63000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 129023<br>254623 |
| 74 | हापुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 34910<br>34910 | 66000<br>102600 | 0<br>33000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 112410<br>182010 |
| 75 | शामली-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 68520<br>68520 | 66000<br>104600 | 0<br>35000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 146020<br>219620 |
| 76 | सम्भल-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000<br>8000 | 76742<br>76742 | 66000<br>147600 | 0<br>85000 | 0<br>0 | 2000<br>2000 | 1500<br>1500 | 154242<br>320842 |
| | योग | वर्तमान<br>प्रगामी | 600000<br>600000 | 11394000<br>11394000 | 5106000<br>11255000 | 26160000<br>120887000 | 900000<br>1500000 | 180000<br>180000 | 120000<br>120000 | 44460000<br>145936000 |

**महायोग-** (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार करोड़ चौवालीस लाख साठ हजार
**महायोग-** (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौदह करोड़ उनसठ लाख छत्तीस हजार

(आशीष भाष्कर)
वित्त नियंत्रक

प्रेषक,

**निदेशक,**
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

**वित्त नियंत्रक,**
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 145 /इपीडी0/ग्लैण्डर्स/आर0के0वी0वाई0/आवंटन/2021–22 दिनांक 28-01-2022

**विषय– वित्तीय वर्ष 2021–22 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत प्राविधानिक धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के कम में आवंटन करने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक विशेष सचिव, कृषि अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या– 1763(2)/12–3–2021 दिनांक 25.01.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त के कम में ग्लैण्डर्स एवं फार्सी बीमारी की सर्विलियेन्स योजना के तहत अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक– 2401–फसल कृषि कर्म–800 अन्य व्यय–02–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–0205–पशुपालन की योजनायें (के. 60/रा. 40) के अन्तर्गत जनपदवार एवं मदवार आवंटन की धनराशि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है:–

(धनराशि रूपये में)

| क0सं0 | जनपद का नाम | मद 39– औषधि रसायन | मद 42– अन्य व्यय | मद 44– प्रशिक्षण एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | कुल आवंटित धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | मेरठ | 94215 | 10000 | 56400 | 160615 |
| 2 | गाजियाबाद | 42996 | 10000 | 0 | 52996 |
| 3 | बुलन्दशहर | 156431 | 10000 | 0 | 166431 |
| 4 | गौतमबुद्धनगर | 27921 | 10000 | 0 | 37921 |
| 5 | बागपत | 67149 | 10000 | 0 | 77149 |
| 6 | हापुड़ | 34910 | 10000 | 0 | 44910 |
| 7 | मुजफ्फरनगर | 119910 | 10000 | 0 | 129910 |
| 8 | सहारनपुर | 106719 | 10000 | 28200 | 144919 |
| 9 | शामली | 68520 | 10000 | 0 | 78520 |
| 10 | आगरा | 94043 | 10000 | 37600 | 141643 |
| 11 | मथुरा | 68006 | 10000 | 0 | 78006 |
| 12 | फिरोजाबाद | 35801 | 10000 | 0 | 45801 |
| 13 | मैनपुरी | 40426 | 10000 | 0 | 50426 |
| 14 | अलीगढ़ | 112201 | 10000 | 37600 | 159801 |
| 15 | एटा | 26894 | 10000 | 0 | 36894 |
| 16 | हाथरस | 66121 | 10000 | 0 | 76121 |
| 17 | कासगंज | 38885 | 10000 | 0 | 48885 |
| 18 | मुरादाबाद | 82635 | 10000 | 47000 | 139635 |
| 19 | रामपुर | 79825 | 10000 | 0 | 89825 |
| 20 | बिजनौर | 87225 | 10000 | 0 | 97225 |
| 21 | अमरोहा | 34773 | 10000 | 0 | 44773 |
| 22 | सम्भल | 76742 | 10000 | 0 | 86742 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | बरेली | 237250 | 10000 | 37600 | 284850 |
| 24 | बदायूँ | 158623 | 10000 | 0 | 168623 |
| 25 | शाहजहाँपुर | 99867 | 10000 | 0 | 109867 |
| 26 | पीलीभीत | 84279 | 10000 | 0 | 94279 |
| 27 | कानपुर नगर | 37514 | 10000 | 56400 | 103914 |
| 28 | कानपुर देहात | 5344 | 10000 | 0 | 15344 |
| 29 | इटावा | 14046 | 10000 | 0 | 24046 |
| 30 | फर्रूखाबाद | 45394 | 10000 | 0 | 55394 |
| 31 | कन्नौज | 26551 | 10000 | 0 | 36551 |
| 32 | औरैया | 20213 | 10000 | 0 | 30213 |
| 33 | इलाहाबाद | 81024 | 10000 | 37600 | 128624 |
| 34 | फतेहपुर | 94215 | 10000 | 0 | 104215 |
| 35 | प्रतापगढ़ | 84450 | 10000 | 0 | 94450 |
| 36 | कौशाम्बी | 87534 | 10000 | 0 | 97534 |
| 37 | झांसी | 23125 | 10000 | 28200 | 61325 |
| 38 | ललितपुर | 8736 | 10000 | 0 | 18736 |
| 39 | जालौन | 36658 | 10000 | 0 | 46658 |
| 40 | हमीरपुर | 29840 | 10000 | 0 | 39840 |
| 41 | महोबा | 22714 | 10000 | 0 | 32714 |
| 42 | बॉदा | 66121 | 10000 | 0 | 76121 |
| 43 | चित्रकूट | 26208 | 10000 | 37600 | 73808 |
| 44 | वाराणसी | 8051 | 10000 | 37600 | 55651 |
| 45 | जौनपुर | 10620 | 10000 | 0 | 20620 |
| 46 | गाजीपुर | 50876 | 10000 | 0 | 60876 |
| 47 | चन्दौली | 21583 | 10000 | 0 | 31583 |
| 48 | मिर्जापुर | 79654 | 10000 | 28200 | 117854 |
| 49 | सोनभद्र | 2226 | 10000 | 0 | 12226 |
| 50 | संतरविदास नगर | 2843 | 10000 | 0 | 12843 |
| 51 | आजमगढ़ | 22097 | 10000 | 28200 | 60297 |
| 52 | मऊ | 46079 | 10000 | 0 | 56079 |
| 53 | बलिया | 181064 | 10000 | 0 | 191064 |
| 54 | गोरखपुर | 53103 | 10000 | 37600 | 100703 |
| 55 | महराजगंज | 14560 | 10000 | 0 | 24560 |
| 56 | देवरिया | 35459 | 10000 | 0 | 45459 |
| 57 | कुशीनगर | 27613 | 10000 | 0 | 37613 |
| 58 | बस्ती | 3254 | 10000 | 28200 | 41454 |
| 59 | सिद्धार्थनगर | 9695 | 10000 | 0 | 19695 |
| 60 | संतकबीरनगर | 8907 | 10000 | 0 | 18907 |
| 61 | गोण्डा | 44880 | 10000 | 37600 | 92480 |
| 62 | बहराईच | 77564 | 10000 | 0 | 87564 |
| 63 | बलरामपुर | 27545 | 10000 | 0 | 37545 |
| 64 | श्रावस्ती | 17643 | 10000 | 0 | 27643 |
| 65 | अयोध्या | 18774 | 10000 | 47000 | 75774 |
| 66 | सुल्तानपुर | 25181 | 10000 | 0 | 35181 |
| 67 | बाराबंकी | 54987 | 10000 | 0 | 64987 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | अम्बेडकरनगर | 12162 | 10000 | 0 | 22162 |
| 69 | अमेठी | 51523 | 10000 | 0 | 61523 |
| 70 | लखनऊ | 28778 | 10000 | 56400 | 95178 |
| 71 | लखीमपुर खीरी | 91679 | 10000 | 0 | 101679 |
| 72 | हरदोई | 130188 | 10000 | 0 | 140188 |
| 73 | सीतापुर | 29326 | 10000 | 0 | 39326 |
| 74 | रायबरेली | 108467 | 10000 | 0 | 118467 |
| 75 | उन्नाव | 45565 | 10000 | 0 | 55565 |
| 76 | मुख्यालय | 0 | 156000 | 195000 | 351000 |
| **कुल योग** | | **4194000** | **906000** | **900000** | **6000000** |

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार धनराशि का आवंटन जनपद एवं मुख्यालय पर आहरण एवं वितरण अधिकारी को शासनादेश संख्या 1763(2)/12–3–2021 दिनांक 25.01.2022 में दिये गये निर्देश के क्रमांक 2 से 13 तक पर अनुपालन करते हुये आहरित करने के निर्देश के साथ किया जाये, पूर्व में निर्गत आहरण संबंधी एवं अन्य निर्देशों का पालन सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। आवंटित धनराशि को योजनान्तर्गत व्यय करने हेतु अलग से दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे।

भवदीय

28/01/22

(डा0 इन्द्र मनि)
निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।